फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 43/2025

शांतिलाल पिता उंकार धाकड निवासी मेघपुरा तह0 बेंगू	बनाम	मनोज कुमार पिता उंकार धाकड वगै. मेघपुरा तह0 बेंगू

उपस्थित ::– लालुराम कुमावत
अधिवक्ता प्रार्थी
भोलेश भट्ट विपक्षीगण

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 212 आर टी. एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अ.धा.212 आर.टी.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा मेघपुरा प.ह. मेघपुरा के खाता संख्या 173 आराजी संख्या 563, 564 खाता संख्या 173 आराजी संख्या 974/522 कुल किता –3 कुल रकबा 0.8980 है0 भूमि मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे प्रार्थी का 1/3 व प्रतिवादीगण का 1/3 हक हिस्सा निहित है प्रार्थी ने विपक्षीगण को दिनांक 5/7/2025 को आपसी सहमति से तहसील मे चल कर खाता विभाजन कराने के लिए कहा तो विपक्षीगण द्वारा इन्कार कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी की हम बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को बेचान हस्तांतरित करेगें। इस लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद फरमाय जावे कि मौजा मेघपुरा प.ह. मेघपुरा के खाता संख्या 173 आराजी संख्या 563, 564, खाता संख्या 173 आराजी संख्या 974/522 कुल किता –3 कुल रकबा 0.8980 है0 कृषि भूमि को बिना विभाजन कराये किसी प्रकार से बेचान दान बक्षीस हकत्याग विक्रय पंजियन आदि तरिके से हस्तांतरित नही करें करावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है की कानूनन किसी भी सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे मौखिक विभाजन किय जाने का कथन किया है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी स्वंय अपनी कृषि आराजी को विक्रय करना चाहता है इस लिये झूटा वाद पेश किया है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर व अन्य कृषि आराजी का उल्लेख नही कर उक्त वाद पत्र व प्रार्थनापत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम मेधपुरा में स्थित है जिसके खाता संख्या 157 आराजी संख्या 571 रकबा 0.0240 है. मे विपक्षी संख्या 02 का 2/27 हिस्सा है जिसका भी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 के मध्य विभाजन कराये जाने की राहत प्रार्थी ने नही चाही है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय श्रीमान मे नही आया है जिससे प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)	

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमांबदी सम्वत 2078–20278 मौजा मेधपुरा प.ह. मेधपुरा के खाता संख्या 173 आराजी संख्या 563, 564, खाता संख्या 173 आराजी संख्या 974/522 कुल किता –3 कुल रकबा 0.8980 है0 भूमि का अवलोकन करने पर उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे प्रार्थी व विपक्षीगण का जमाबंदी अनुसार हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में दोनो पक्षो में मौके पर विवाद ना हो इस लिए प्रार्थी व विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की मौजा मेघपुरा प.ह. मेघपुरा के खाता संख्या 173 आराजी संख्या 563, 564, खाता संख्या 173 आराजी संख्या 974/522 कुल किता –3 कुल रकबा 0.8980 है0 भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से भूमि व रिकार्ड कि यथास्थिति कायम रखें। आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़